राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2550 / 2024

गणेश माली

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गंगापुर सिटी, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 10.06.1969 को विपक्षी सं. 2 के अधिन पम्प चालक द्वितीय के पद पर हुई। अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 30.04.2011 को सेवानिवृत हुआ। विपक्षी सं. 2 द्वारा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 17.7.1996 को वरियता सूची जारी की गई। उक्त वरियता सूची में क्रम सं.6 पर अपीलार्थी का नाम उल्लेखित है। उक्त वरियता सूची में ही श्री रामबाबू शर्मा का नाम क्रम सं. 11 पर अंकित है एवं नियुक्ति तिथि 02.02.21972 है एवं श्री दामोदर प्रसाद का नाम क्रम सं 13 पर अंकित है एवं उनकी नियुक्ति तिथि 09.02.1974 अंकित है। इस प्रकार उक्त दोनों कर्मचारी प्रार्थी के समान पद धारित करते है। रामबाबू व दामोदर शर्मा दोनो ने माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में चयनित वेतन का लाभ एक ही स्केल में दिये जाने के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन लेते हुए 9, 18, व 27 का चयनित वेतन मान अलग–अलग देतन श्रृंखला में दिये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा श्री दामोदर प्रसाद व श्री दामोदर प्रसाद शर्मा को द्वितीय चयनित वेतन श्रृंखला में 5000–8000 व 27 वर्ष पूर्ण करने पर 5500–9000 की वेतन श्रृंखला में फिक्स किया गया है, जबकि अपीलार्थी को 18

वर्ष में 4000–6000 व 27 वर्ष में 5000–8000 की वेतन श्रृंखला में फिक्स कर वेतन दिया गया है। श्री दामोदर प्रसाद शर्मा व राभबाबू प्रार्थी के बाद नियुक्ति हुए व्यक्ति है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका सं.7800/2019 घनश्याम बनाम राजस्थान सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन लेते हुए निर्णय पारित किया है कि कर्मचारियों को अगर आयसोलेटेड पद है तो उसे उच्च श्रृंखला का वेतन दिया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को श्री दामोदर प्रसाद शर्मा व रामबाबू को दी गई वेतन श्रृंखला द्वितीय चयनित वेतन में व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उक्त दोनों की वेतन श्रृंखला के अनुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)